

जी,
उपरोक्त वि
की निविदा
करावे।



कार्यालय मुख्य प्रबंधक, राजस्थान परिवहन निगम, बीकानेर।

श्रीगंगानगर रोड, Opp. लालगढ पैलेस, बीकानेर

मोबाईल नः-9549653240

Email-rsrtc.cmbkr@gmail.com



अनुमा

क्रमांक-एफ/तक/मुप्र/बीका./2024/3299

दिनांक:- 11.9.24

निविदा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर आगार के द्वारा संचालित की जा रही निगम वाहनों (लीलैण्ड/टाटा) के रख-रखाव एवं मरहमत्त का कार्य (Job work basis) हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस के दौरान प्रबंधक(संचालन) अथवा प्रबंधक (वित्त) के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। खंजाची भुगतान के पास 200,000/- नगद जमा करवाकर निविदा प्रपात्र प्राप्त किए जा सकते हैं। ... 7,000/- रु नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि जमा करवाकर निविदाएं दिनांक 26-9-2024 को अपराह्न 03:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदाएं इसी दिन उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष आगारीय कमेटी द्वारा खोली जायेगी।

आगारीय कमेटी को निविदाएं निरस्त करने अथवा अस्वीकार करने तथा सफल निविदादाता का कार्य आवंटन का निर्णय लेने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

क्रमांक-एफ/तक/मुप्र/बीका./2024/3299

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1-नोटिस बोर्ड केन्द्रीय बस स्टेण्ड रा.प.निगम बीकानेर आगार।

2-प्रबंधक(संचालन), रारापपनिगम बीकानेर आगार।

CHIEF MANAGER
R.S.R.T.C. BIKANER
दिनांक:- 11.9.24

CHIEF MANAGER
मुख्य प्रबंधक, बीकानेर।
R.S.R.T.C. BIKANER

NAB code 1-RTC 2425A0412

UBN is :- RTC 2425SS0B00394

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर आगार

निगम वाहना के मरम्मत का कार्य जोब वर्क बेसिस पर करवाने हेतु निविदा प्रपत्र

मुख्य प्रबंधक
रा.रा.प.प. निगम
बीकानेर

1. निविदा दाता/फर्म का नाम :-
2. निविदा दाता के पिता का नाम :-
3. निविदा दाता/फर्म का पता :-
4. निविदा दाता/फर्म का टेलीफोन नम्बर :-
5. निविदा दाता/फर्म की संरचना :-

भागीदार / प्रोपराईटरशिप

6. भागीदार/प्रोपराईटर के पते :-

निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दर

कराने जाने वाले कार्य :-

- 1- इंजिन का कार्य :-
 - अ- इंजिन में रिंग डालना
 - ब- सीवाई हैड, गेस किट बदली करना
 - स- आर.सी. इंजन बदलना
(पुराना उतार कर आर.सी. लगाना)
- 2- वाहन में पुराना गियर उतार कर आर.सी. गियर लगाना
- 3- क्लच प्लेट/प्रेसर प्लेट बदली करना
- 4- वाहन के आगे/पीछे की कर्मानो बदली करना (यदि तैयार है तो)
- 5- वाहन के आगे/पीछे की कमानी तैयार कर बदली करना
- 6- फ्रॉन्ट शोकल, एफआर/आर.आर. ब्रेकेट बदली करना
- 7- 10000 किमी. ड्रॉकिंग (व्हील मैटीनेंस)
 - अ- आगे के व्हील में किंग पिन डालनी प्रति व्हील
 - ब- आगे/पीछे के व्हील मैटीनेंस-प्रति व्हील (लाईनर सहित)
- 8- आर.सी. एफआई. पम्प, असेम्बली बदली करना
(पुराना खोलकर आर.सी. लगाना) टाटा/लीलेण्ड
- 9- आर.सी. इन्जेक्टर सेट बदली करना
(पुराना खोलकर आर.सी. लगाना) टाटा/लीलेण्ड एवं टेपिट सेट करना
- 10- आर.सी.सीआर झाईव हैड बदली करना
(पुराना खोलना व आर.सी.लगाना)
- 11- वाटर पम्प बदली करना
- 12- रेंड्रियेटर असेम्बली बदली करना
- 13- पाव स्टेयरींग पम्प बदली करना
- 14- पावर स्टेयरींग वाक्स बदली करना
- 15- इंजिन रिपेयरिंग कार्य यदा हैड गेस किट, टेपेट लावर रिंग, पिस्टन एवं लाईनर बदली करना।
- 16- इंजिन मेन आयल सील एवं स्टेयरिंग आयल सीली बदली करना।
- 17- वाहन का टायर खोलकर पंचर लगाकर टायर वापिस लगाना
- 18- वाहन का टायर खोलकर उसके स्थान पर नये/रिड्रेड टायर लगाना
- 19- टायरों का समय पर रोटेशन करना एवं हवा का दबाव सही करना
- 20- टायर का तैयार कर वाहन के उपर स्टेपनी रखना।
- 21- वाहन के टायरों में ड्रवा-चैक करवा कर रखना

निविदा दाता के हस्ताक्षर

नोट- टेंडर फार्म के साथ संलग्न शर्तें जोब बेसिस के अनुबंध में लागू होगी। प्रत्येक निविदादाता पर कर समझाकर स्वीकार कर टेंडर के साथ हस्ताक्षर करके संलग्न करेगा अन्यथा फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा। आगार समिति किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

बीकानेर आगार की लीलैण्ड वाहनों के मरम्मत का कार्य (जोब वर्क बेसिस)

- 1- जोब वर्क बेसिस आगार कार्यशाला परिधि में करना होगा ।
- 2- वाहनों के मरम्मत के कार्य में काम आने वाले कल-पूर्जे निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 3- वाहनों के मरम्मत का कार्य का सत्यापन पारी प्रभारी/प्रबन्धक(संचालन) द्वारा किया जायेगा । किया गया कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही कार्य आधारित भुगतान देय होगा । वाहनों के मरम्मत कार्य मासिक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा । जिसके आधार पर मासिक बिल अनुबंध फर्म द्वारा भुगतानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 4- अनुबंधकर्ता/फर्म के बिल में से नियमानुसार उद्गम स्थान पर आयकर, सी.पी.एफ./ ई. एस.आई. आदि की कानूनी कटौती नियमानुसार नियोक्ता अंशदान भी अनुबंधकर्ता/फर्म द्वारा देय होगा ।
- 5- अनुबंध फर्म द्वारा मासिक बिल प्रत्येक माह प्रस्तुत करने पर बिल का भुगतान अगले माह में वाहनो का मरम्मत कार्य करते रहने पर किया जावेगा ।
- 6- यदि ठेकदार अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंध स्वैच्छा से छोड़ना चाहे तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी । एक माह की सूचना के मध्य कार्य छोड़ने पर धरोहर राशि जप्त करली जावेगी ।
- 7- निगम को बना किसी कारण बताये किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
- 8- निविदा फार्म में प्रति कार्य दर अंको व शब्दों में अंकित की जावेगी ।
- 9- सफल निविदादाता को प्रतिभू राशि के बतौर 7000/- रुपये जमा करानी होगी जो अनुबंध अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वापिस लौटा दी जावेगी ।
- 10- ठेकदार द्वारा किये गये कार्य के कारण वाहन ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति मासिक बिल में से कटौती की जावेगी ।
- 11- आगार कार्यशाला परिसर के दौरान ठेकदार के किसी भी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की स्थिति में निगम प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- 12- कार्य दिन या रात्रि पारी में अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य करना होगा ।